

**HPFD-F05/204/2023-FCA**

वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,  
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़  
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, िवालिखण्ड,लौंगबुड,  
िमला, हिमाचल प्रदेश ।-1710001

दिनांक िमला-1

विषय: **Diversion of 1.6201ha of Forest land in favour of M/s Dinesh Butail Complex Bundla Tea Estate Palampur for the construction of Grahan Kasol Hydro Power SHEP 5 MW, within the jurisdiction of Parbati Forest Division Distt. Kullu Himachal Pradesh**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 22.01.2025 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्तें	उत्तर
<p><b>प</b> वे भारत जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:</p> <p><b>पप</b> प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए।</p>	<p>प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करावा ली है।</p>
<p><b>पपप</b> राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।</p>	<p>राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे गों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।</p>
<p><b>पपपप</b> WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC ( vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.0869 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।</p>	<p>WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे । दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे । संख्या 5-3/2011-FC ( Vol-I ) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.0869 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।</p>
<p><b>पपपप</b> प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <a href="http://www.parivesh.nic.in">www.parivesh.nic.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।</p>	<p>प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <a href="http://www.parivesh.nic.in">www.parivesh.nic.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।</p>
<p><b>अप</b> पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) में अपलोड की</p>	<p>पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) में अपलोड कर ली है।</p>

	जाए।	
अपप	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह राशि जमा कर ली है।
अपपप	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भांति के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आदेश का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।	इस आदेश का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
vi.	No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by State Government along with any other environment related compliance/clearance.	Undertaking from UA regarding obtaining the No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations is attached herewith.
अपप	The State Government shall ensure that the proposed SHEP unit is within the stipulated carrying capacity recommended in the CIA/CCS study	It will be ensured that the proposed SHEP unit is within the stipulated carrying capacity recommended in the CIA/CCS study.
अपपप	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।
ठप	वे भांति जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ट में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-1 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
1प	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	
2प	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3प	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 3.25 ha पर पौध रोपण का कार्य Block/Compartment8Survey No. 53/E/5 of Komi Gar Grahan beat, Viilage/Site-Kasol, Kasol Forest Range, Parvati Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के 174 पौध रोपण का कार्य Block/Compartment8Survey No. 53/E/5 of Komi Gar Grahan beat, Viilage/Site-Kasol, Kasol Forest Range, Parvati Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

<p>4<sup>प</sup> प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज,अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	<p>प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, वन विभाग के नाम है। यह वन पार्वती वन मण्डल में <b>Approved Working Plan</b> के अनुसार <b>Deo Kail Working Circle</b> में आता है। <b>Working Plan</b> की copy attached की गई है।</p>
<p>5<sup>प</sup> राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।</p>	<p>राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सम्बन्ध की बचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>6<sup>प</sup> वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाएँ गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।</p>	<p>वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाएँ गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>7<sup>प</sup> माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ाँ अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ि बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी रा ि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेँसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।</p>	<p>माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ाँ अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेँसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>8<sup>प</sup> Wild life Mangement Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&amp;CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.</p>	<p>DFO Parvati has reported that WLMP is already furnished to Govt. of India &amp; accordingly, the amount of WLMP i.e. Rs. 6565000/- has been deposited in Ad-hoc CAMPA.</p>
<p>9<sup>प</sup> एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश ा के अनुसार उपयोग कर्ता एजेँसी द्वारा किया जाएगा।</p>	<p>एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेँसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>10<sup>प</sup> स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेँसी, विभाग या व्यक्ति वि ेश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।</p>	<p>स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेँसी, विभाग या व्यक्ति वि ेश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>11<sup>प</sup> केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।</p>	<p>केंद्रीय सरकार कि अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>12<sup>प</sup> वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा।</p>	<p>वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>13<sup>प</sup> प्रयोक्ता एजेँसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेँसी द्वारा वर्तमान</p>	<p>प्रयोक्ता एजेँसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेँसी द्वारा वर्तमान दरों</p>

दरों पर धनरा ि उपलब्ध करायी जायेगी।	पर धनरा ि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 <sup>प</sup> परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 <sup>प</sup> प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 <sup>प</sup> प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 <sup>प</sup> स्थानांतरित वन भूमि की सीमार्ये आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	सीनांतरित वन भूमि की सीमार्ये आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 <sup>प</sup> प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 <sup>प</sup> यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
20 <sup>प</sup> The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.	The State Government/User Agency will ensure adherence to stipulated E-flow recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna. Undertaking in this regard is provided by UA duly countersigned by DFO concerned.
21 <sup>प</sup> Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government will ensured compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project. Undertaking in this regard is attached.
22 <sup>प</sup> State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project	State Govt. will ensured that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project. Undertaking in this regard is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by DFO.

<p>23<sup>प</sup> The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.</p>	<p>The User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly. Undertaking in this regard is attached.</p>
<p>24<sup>प</sup> परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।</p>	<p>परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>25<sup>प</sup> इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>26<sup>प</sup> अन्य कोई भी भारत इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>27<sup>प</sup> यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ।/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>28<sup>प</sup> इनमें से किसी भी भारत का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines &amp; Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि गानिर्दे । 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य  
अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हि०प्र०